वर्ष 5, संख्या 107

राष्ट्र महिला

जुलाई, 2008

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रकाशित

सम्पादकीय

हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया यह निर्णय कि कार्यस्थल का यौन उत्पीड़न कार्यालय-परिसर के बाहर भी हो सकता है, महिलाओं के कार्य में आ रहे बदलाव का द्योतक है। आजकल, महिला का कार्य उसके कार्यालय तक ही सीमित नहीं है अपितु बहुधा वह अपने घर या अन्य स्थान से कार्य करती है। न्यायालय ने यद्यपि महिला के कार्य की बदलती हुई प्रकृति को स्वीकारा है, फिर भी किसी भी भ्रम को दूर करने के लिए इस पर कानूनी मुहर लगना आवश्यक है। अर्थात्, यदि कोई पुरुष किसी महिला साथी से उसके घर पर बदसलूकी करे, तो वह इस आधार पर विभागी कार्यवाही से नहीं बच सकता कि घटना कार्यालय परिसर के बाहर हुई थी।

'कार्यस्थल' की उदार व्याख्या करते हुए, उच्च न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय द्वारा कार्यस्थल पर उत्पीड़न संबंधी दिए गये उन मार्ग निर्देशों को विस्तारित किया है जिनमें स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था कि कैसा कृत्य कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न माना जाये और शिकायत दूर करने का व्यवस्था-तंत्र क्या हो।

चर्चा में **कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न**

इनसे नियोक्ताओं में निश्चय ही अधिक जागरूकता आई है, परन्तु फिर भी यौन उत्पीड़न की शिकायतों के मामलों में इन मार्गनिर्देशों का समुचित पालन नहीं किया जाता। अनेक कार्यालयों ने अभी तक शिकायत समितियां गठित नहीं की हैं और जिन्होंने की हैं वे उच्चतम न्यायालय के मार्गनिर्देशों का पालन नहीं करते। फिर, बहुत से मामलों में नियोक्ता ऐसी शिकायतों की जांच करने और आरोपियों को सजा देने में कतराते भी हैं। अनेक महिलाएं तो ऐसी घटनाओं की शिकायत करने की अपेक्षा चुपचाप यह स्थिति सहते रहना पसंद करतीं हैं। यदि कोई महिला शिकायत करती भी है तो उस पर शिकायत वापस लेने के लिए भारी दबाव डाला जाता है।

जब यौन उत्पीड़न की बात हो तो कर्मचारियों को किसी प्रकार की सहनशीलता नहीं दिखानी चाहिए। साथ ही, लोगों को उस मुद्दे पर शिक्षित करने की आवश्यकता है। कार्यालय की आचार संहिता और कार्य-संस्कृति ऐसी होनी चाहिए जिससे कि महिलाओं के प्रति सम्मान की भावना पैदा हो और ऐसा सामंजस्यपूर्ण वातावरण बने जिससे महिलाएं परस्पर सम्मान तथा प्रतिष्ठा के साथ कार्य कर सकें।

यूरोपीय कमीशन के राजदूत का आयोग में आगमन

''यातना पीड़ितो के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस" मनाने के लिए, भारत में यूरोपीय आयोग डेलीगेशन ने संयुक्त राष्ट्र सूचना केन्द्र के सहयोग में नयी दिल्ली में एक विशेष आयोजन किया। अपने स्वागत भाषण में भारत स्थित यूरोपीय आयोग के डेलीगशन की प्रमुख सुश्री डानियल स्मादजा, राजदूत, ने कहा कि यूरोपीय आयोग यातना तथा अन्य क्रूर, अमानवीय, अधम व्यवहार के संपूर्ण निषेध के लिए पूरी तरह वचनबद्ध है। उनका संगठन विश्व भर में सिविल समाज के संगठनों द्वारा यातना रोकने एवं पीड़ितों की सहायता करने के प्रयासों में उन्हें वित्तीय सहायता देने का एक अग्रणी स्रोत है। प्रमुख भाषण देते हुए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस राजेन्द्र बाबू ने कहा कि हमारे देश के कानून और अंतर्राष्ट्रीय कानून दोनों में यातना एक अपराध है। इस पर पूर्ण निषेध है और किन्हीं अपवादस्वरूप परिस्थितियों तक में भी यातना को सही नहीं ठहराया जा सकता। उन्होनें कहा कि हिरासत में होने वाली मृत्युओं तथा क्रूरताओं के शिकार लोग अधिकतर आर्थिक रूप से पिछड़े तथा वँचनाग्रस्त समाज में होते हैं। जहाँ तक मानवाधिकार आयोग का प्रश्न है, उसने व्यक्तियों की यातना तथा हिरासती मृत्यु के मामले हाथ में लिए हैं, न्यायालय में लम्बित मामलों में हस्तक्षेप किया है, घरेलू कानूनों तथा अंतर्राष्ट्रीय समझौतों की पुनरीक्षा की है, पुलिस एवं जेल कर्मियों को प्रशिक्षण दिया है और मानवाधिकारों के प्रति लोगों को शिक्षित करने एवं उनमें जागरूकता फैलाने वाले गैर सरकारी सरकारी संगठनों के प्रयासों को प्रोत्साहित किया है।

परामर्श को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा गिरिजा व्यास ने कहा कि इस ऐतिहासिक दिवस पर सभी राज्यों को अपने इस संकल्प की पुष्टि करनी चाहिए कि महिलाओं के प्रति हिंसा समाप्त करने और हिंसा के कृत्यों की रोक, छानबीन तथा सज़ा सुनिश्चित करने एवं पीड़िताओं को पहुंची हानि के लिए स्वास्थ्य सेवाओं एवं पुनर्वास सहित न्याय तक उनकी पहुंच के लिए एक यातना रोधक व्यवस्था की स्थापना की जायेगी।

परामर्श में (बांये से) श्री जर्मोन बोन्नाफोंट, डा. गिरिजा व्यास, सुश्री डानियल स्मादजा

शिकायत कक्ष से

- एक महिला ने आयोग से शिकायत की कि उसका पति तथा सास-ससुर उसे दहेज के लिए सता रहे हैं। उसका कहन था कि वह उपने पति के घर वापस जाना चाहती है किन्तु पति का किसी अन्य स्त्री के साथ अनुचित सम्बन्ध चल रहा है जिस कारण वह उसे स्वीकार नहीं कर रहा। उसकी याचिका पर आयोग ने अलवर, राजस्थान, के एस पी को एक पत्र भेज कर मामले की जांच करके आयोग को रिपोर्ट भेजने को कहा। रिपोर्ट के अनुसार, शिकायतकर्ता ने आरोपी के विरुद्ध तलाक का मुकदमा दायर कर दिया है और मामला न्यायालय मे होने के कारण पुलिस फाइल बंद कर गयी है।
- आयोग को एक पुरुष से शिकायत हुई कि उसकी लड़की को उसके पति तथा सास-ससुर दहेज के लिए उत्पीड़ित करते हैं और मारते-पीटते हैं। उन्होंने एक लाख रु. की मांग की और लड़की को घर से निकाल दिया। शिकायत पर आयोग ने मथुरा (उत्तर प्रदेश) के एस पी को पत्र लिख कर मामले की जांच करने और एक मास के अंदर आयोग को रिपोर्ट भेजने को कहा। एस पी द्वारा भेजी गयी रिपोर्ट के अनुसार, लड़की तथा ससुराल वालों के बीच का विवाद अब सुलझ गया है और लड़की अपने ससुराल में रह रही है। शिकायत पर आगे कार्यवाही आवश्यक न होने के कारण मामला बंद कर दिया गया है।

महिलाओं के प्रति अपराधों में बिहार सबसे ऊपर

परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार बिहार में प्रति 7 घंटे एक महिला का बलत्कार होता है, प्रति 8 घंटे दहेज के लिए एक महिला की हत्या की जाती है, और प्रति 5 घंटे पति तथा सास-ससुर द्वारा दहेज के लिए तंग किए जाने के मामले पुलिस थानों में दर्ज कराए जाते है।

बिहार में 59 प्रतिशत विवाहित महिलाएं ससुराल में अत्पीड़ित की जाती हैं। राष्ट्रीय औसत 37 प्रतिशत है।

बिहार के बाद राजस्थान और मध्यप्रदेश का नंबर आता है। इन दोनों राज्यों का प्रतिशत 46 है। त्रिपुरा और मनीपुर तीसरे स्थान पर (44 प्रतिशत के साथ) आते हैं। तत्पश्चात आते हैं उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु (42 प्रतिशत), पश्चिम बंगाल और असम (40 प्रतिशत), अरुणाचल प्रदेश (39 प्रतिशत) उड़ीसा (38 प्रतिशत), झारखंड (35 प्रतिशत)।

पत्नी उत्पीड़न का सबसे कम प्रतिशत हिमाचल प्रदेश में पाया गया (केवल 6 प्रतिशत) और कुछ पूर्वोत्तर राज्यों, दिल्ली एवं केरल में अपेक्षाकृत कम, अर्थात् 20 प्रतिशत।

महिलाओं के अशोभनीय चित्रण के लिए आयोग नये कानून के पक्ष में

प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया में महिलाओं के अशोभनीय चित्रण से निबटने के लिए आयोग ने एक स्व-संचालित व्यवस्था अथवा नये कानून की मांग की है।

टेलीविजन सीरियलों में महिलाओं के चित्रण की दृष्टि में जो अपमानजनक न होकर भी महिलाओं को उचित रूप से प्रदर्शित नहीं करते, आयोग विद्यमान कानून का पुनरीक्षण करने के पक्ष में है।

नया कानून बनाने के बारे में आयोग ने मुम्बई में फिल्म निर्देशकों तथा विज्ञापन क्षेत्र के लोगों से बात की है। इस परामर्श का दूसरा दौर कोलकता में हुआ और तीसरा तथा अंतिम दौर नई दिल्ली में होगा जिसके बाद एक विधेयक का मसौदा तैयार किया जायेगा। आयोग ने प्रकाशकों तथा प्रदर्शकों को एक स्व-संचालित व्यवस्था स्थापित करने का सुझाव दिया है और कहा है कि विज्ञापनों की समीक्षा के लिए एजेंसियों तथा फमो° द्वारा एक आंतरिक समिति का गठन किया जाये।

एक मीडिया-प्रहरी समिति स्थापित की जा सकती है। ''विज्ञापन'' की परिभाषा विस्तृत करके इसमें पोस्टरों को तथा लेसर लाइट, फाइबर आप्टिक अथवा किसी भी अन्य मीडिया द्वारा किए गये चित्रण को शामिल किया जाना चाहिए।

आयोग ने दण्ड को बढाने की भी सिफारिश करते हुए कहा है कि पहली सज़ा पर जुर्माने की राशि बढ़ा कर 1000रु. तथा न्यूनतम कारावास 6 मास किया जाये। इसे दूसरी सज़ा पर बढ़ा कर पांच साल के कारावास और 5 लाख रू. के जुर्माने तक किया जा सकता है। नये कानून में बाल अश्लील-साहित्य शामिल किए जाने की सिफरिश भी की गयी है।

आयोग में दो नये सदस्यों की नियुक्ति

सुश्री यास्मीन अब्रार को 15 जुलाई, 2008 से तीन वर्ष के लिए अयोग के सदस्य के रूप में पुन: मनोनीत किया गया है। सुश्री अब्रार राजस्थान के एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी की पुत्री हैं। वह 1998 से 2003 तक राजस्थान विधान सभा की सदस्य रहीं। वह राष्ट्रीय महिला कोष में परामर्शदाता भी थीं और राजस्थान की पीसीसी सदस्य रही हैं। उन्होंने भारत तथा विदेशों में व्यापक भ्रमण किया है और गत बीस वर्ष से महिलाओं तथा बच्चों के विकास कार्य में रत हैं। आयोग की पूर्व सदस्या के रूप में सुश्री अब्रार का अमूल्य अनुभव आयोग के सुचारू कार्यकरण में प्रभावी होगा। हम सुश्री अब्रार का आयोग में स्वागत करते हैं।

सुश्री नीवा कंवर को 15 जुलाई, 2008 से तीन वर्ष के लिए आयोग के सदस्य के रूप में पुन: मनोनीत किया गया है। पहले वह एक लेक्चरर थीं। उन्होंने निराश्रित बच्चों एंवं कुष्ठ रोगियों की असम सेवा समिति की कार्यकारी सदस्या के रूप में और असम की महिला इमदाद समिति में कार्य किया। वह भारतीय समाज कल्याण परिषद की उप-सभपति रहीं और इलाहाबाद बैंक की निदेशक एवं एएमआईसी की महामंत्री भी रहीं। उन्होंने सोवियत रूस, सिंगापुर, बीजिंग आदि में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लिया और न्यूजीलैंड तथा आस्ट्रेलिया का अध्ययन दौरा किया। उन्होनें कई महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर कार्य किया है और राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व सदस्या के रूप में उनका प्रशासनिक अनुभव एवं उनका सामाजिक कार्य आयोग के लिए वरदान सिद्ध होगा। हम आयोग में उनका स्वागत करते हैं।

क्या आप जानते हैं ?

- लोक सभा के 543 सदस्यों में से 44 सदस्य (8.1%) महिलाऐं हैं।
- राज्य सभा के 242 सदस्यों में से 26 सदस्य (10.7%) महिलाएं हैं।.

कुछ अलग से

उड़ीसा में मल्कागंज गांव की कमला तथा अन्य महिलाएं जंगली जानवरों के डर से धनुष-वाणों सज्जित सशस्त्र पुरुषों के साथ प्रतिदिन 2 किलोमीटर लम्बा चट्टानी मार्ग तय करके एक पहाड़ी धारा से पानी भरने जाया करती थीं।

अंत में, कमला ने पहल की और इस समस्या का कोई रास्ता निकालने के लिए महिलाओं की बैठक बुलाई। उन्होंने निर्णय किया कि पोले बांसो को जोड़ कर उनकी एक पाइप लाइन डाल कर गांव में पानी लाया जाये।

महूपादर और पड़ोस के गांवों की सौ से अधिक महिलाएं पोले बांसों के स्मभों को जोड़ने और पानी की पाइप लाइन के लिए उनकी पालिश करने में जुट गयीं। जिस दिन पाइपलाइन पूरी हुयी और गांव में पानी आने लगा, वह समारोह का अवसर था। किन्तु जल्द की उन्हें मालूम हुआ कि गर्मी के मौसम के दौरान बांसों के पाइप पर्याप्त पानी मुहय्या नहीं करा पाते थे यद्यपि जल धारा में काफी पानी था।

तब महिलाओं ने इस परियोजना के दूसरे चरण पर कार्य प्रारंभ किया। उन्होंने सूखे लट्ठे जमा किए और जल धारा से पानी के बहाव को पाइपलाइन में मुखातिब करने के लिए अर्थ-गोलाकार आकारों में खुर्दा किया और पानी स्टोर करने के लिए गांव में जलाशय बनाये।

अंत में, उन्होंने जलाशयों को बांसों के पाइपों द्वारा अपने घरों से जोड़ दिया।

गांव वालों को अपनी महिलाओं के प्रयासों के परिणामस्वरूप, अब केवल पीने का पानी ही नहीं अपितु अपने खेतों के लिए भी पर्याप्त पानी मिल रहा है और वे धान, दालें तथा सब्जियां उगा रही हैं।

अधिक महिला कांसटेबलों की भर्ती होगी

दिल्ली पुलिस में 1067 महिला कांसटेबल भर्ती की जायेंगी। परिणामस्वरूप, राजधानी में महिला पुलिस कर्मियों की कुल संख्या लगभग 4600 हो जायेगी। इस समय दिल्ली पुलिस में लगभग 65,000 कार्मिक हैं।

भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ हो गयी है और 18-28 वर्ष के आयु वर्ग की महिलाएं कांसटेबलों के स्थान के लिए आवेदन कर सकती हैं।

नयी भर्ती में, 535 महिलाएं आम वर्ग से होगीं, 239 अन्य पिछडे वर्गों से, 196 अनुसूचित जातियों से और 97 अनुसूचित जनजातियों से।

सदस्यों के दौरे

- सदस्या निर्मला वेंकटेश इलाहाबाद के निकट कांति गांव में निहत्थे गांव वालों पर पुलिस द्वारा की गयी बर्बरता की जांच करने गयीं।भू-माफिया उनकी भूमि पर कब्जा करने का प्रयास कर रहा था जिसके विरूद्ध गांव वाले प्रदर्शन कर रहे थे।

  सदस्या ने दलित महिलाओं से, जिनमें गर्भवती महिलाएं भी शामिल थीं और जिन्हें पुलिस ने बुरी तरह पीटा था, बात की। सदस्या ने एस एस पी और जिलाधीश से इस घटना पर चर्चा की और कहा कि दोषी लोगों को तुरंत पकड़ा जाये और उनके विरूद्ध एफआईआर दर्ज की जाये और गांव के जिन पुरुषों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उन्हें रिहा किया जाये। उन्हें यह हिदायत भी दी गयी कि उन प्रभावित लोगों, विशेषकर महिलाओं, की सुरक्षा और इलाज के लिए जिनके कूल्हों, जांघों और हाथों में पुलिस की बर्बरता के कारण गंभीर चोटें आई थीं एक महिला डाक्टर तथा महिला पुलिस अधिकारी की अगुआई वाला एक पुलिस दल नियुक्त किया जाये। जिलाधीश और एसएसपी से एक सप्ताह के अंदर कार्यवाही रिपोर्ट भेजने को कहा गया।

सदस्या निर्मला वेंकटेश घायल महिलाओं से बात करते हुए

- सदस्या मंजु हेमब्रोम ने 'आत्म-हत्या तथा शराब की लत के कारण और निदान' विषय पर पांडिचेरी में आयोजित एस कार्यशाला में भाग लिया। इस अवसर पर बोलते हुए सुश्री हेमब्रोम ने कहा कि पांडिचेरी के बहुत से पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी घरेलू हिंसा निषेध अधिनियम से अवगत नहीं हैं। उन्होंने महिलाओं को सुझाव दिया कि यदि पुलिस उनकी एफआईआर दर्ज नहीं करे तो वे एसपी अथवा जिलाधीश के पास जायें और महिला आयोग को लिखें। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के बारे में पुलिस तथा प्रशासनिक अधिकारियों को संवेदित करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग कार्यशालाएं आयोजित कर रहा है और ऐसे गैर सरकारी संगठनों को आर्थिक सहायता भी मुहय्या करा रहा है जो कम से कम तीन वर्ष पुराने हैं ताकि वे जागरुकता फैलाने और शोध अध्ययन का कार्य कर सकें।

कार्यशाला में सुश्री हेमब्रोन (बांये) और पांडिचेरी महिला आयोग की अध्यक्षा

बलात्कार पीड़ित योजना पर परामर्श

हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बलात्कार पीड़ितों के लिए तैयार की गयी योजना पर नई दिल्ली में एक परामर्श आयोजित किया जिसमें गैर सरकारी संगठनों, सिविल समाज के वर्गों, वकीलों, पुलिस अधिकारियों आदि ने भाग लिया। आयोग की अध्यक्षा डा. गिरिजा व्यास ने इस अवसर पर बोलते हुए कहा कि उच्चतम न्यायालय के निदेशों पर कार्यवाही करते हुए आयोग ने "बलात्कार की अभागी पीड़ितों के आंसू पोंछने" की एक योजना तैयार की है। आयोग ने सुझाव दिया है कि उन्हें एफआईआर दर्ज कराने के समय से किश्तों में कुल 2 लाख रु. का मुआवज़ा दिया जाये। 20000 रु. पहली किश्त एफआईआर दर्ज कराने के बाद दी जायेगी। दूसरी 50000 रु. की किश्त उस समय देने का सुझाव दिया गया है जब पुलिस विवेचना के बाद बलात्कार की पुष्टि हो जाये। आयोग ने यह सुझाव भी दिया है कि पीड़िता को होने वाली वित्तीय हानि की जांच के लिए एक आपराधिक आघात मुआवज़ा बोर्ड की स्थापना की जाये। आयोग ने कहा है कि कुछ मामलों में पीड़िता इतनी भयभीत होती है कि वह नौकरी छोड़ देती है जिसके लिए उसकी क्षतिपूर्ति की जाना आवश्यक है। यह बोर्ड राज्य सरकारों द्वारा इस योजना के अमल किए जाने पर भी निगरानी रखेगा और इस बारे में प्राप्त शिकायतों को देखेगा। सुझाव दिया गया है कि वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पीड़िता को मेडिकल सर्टीफिकेट की एक कापी तथा एफआईआर की एक कापी प्रस्तुत करनी होगी। 20000 रु. की अंतरिम राहत दिए जाने से पूर्व बोर्ड संतुष्ट होना चाहिए कि बलात्कार हुआ है। आयोग ने कहा है कि बोर्ड के अंतर्गत इस योजना के कार्यान्वयन के लिए जिलाधीश द्वारा जिला स्तर पर समितियां बनाई जानी चाहिए जो ऐसे दावों पर विचार करें।

केन्द्रीय गृह मंत्रालय राज्य सरकारों को निर्देश जारी करेगा कि वे सरकारी वकीलों को निर्देश दें कि वे पीड़ितों को उपयुक्त मुआवज़ा देने के लिए न्यायालय के सम्मुख मामलों की वकालत करेगें। राज्य सरकार प्रत्येक जिले में एक मानीटरिंग समिति स्थापित करेगी जिसका अध्यक्ष जिले का एसपी होगा। इस समिति में नगरपालिका पंचायती राज के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त एक पुलिस अधिकारी (जहां तक हो सके महिला), एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक वकील तथा एक डाक्टर होंगे। ये सब जिलाधीश द्वारा मनोनीत किए जायेंगे। महिला एवं बाल विकास मंत्री सुश्री रेनुका चौधरी ने कहा कि वास्तव में बलात्कार पीड़िता की भरपाई कोई मुआवज़ा नही कर सकता और सरकार का प्रयास केवल उसकी आर्थिक सहायता करना है। उन्होंने कहा कि बलात्कार पीड़िता के पास बहुधा उस समय डाक्टरी चिकित्सा के लिए पैसा नहीं होता, इसलिए वित्तीय राहत जरूरी है। उन्होंने यौन प्रहार कानून जल्द पारित करने की आवश्यकता पर भी ज़ोर दिया।

परामर्श में (बांये से) डा. गिरिजा व्यास, सुश्री रेनुका चौधरी, सुश्री निर्मला वेंकटेश, सुश्री मंजु हेमब्रोम

महत्वपूर्ण निर्णय

- **दहेज कानून के दुरुपयोग पर रोक लगाने का प्रयास:** दहेज उत्पीड़न से संबंधित कानूनों पर रोक लगाने के प्रयोजन से पुलिस कमिश्नर ने एक परिपत्र जारी किया है कि किसी डीसीपी की पूर्व छानबीन तथा पूर्व अनुमति के बिना कोई गिरफ्तारी नहीं की जायेगी। आदेश के अनुसार अब केवल मुख्य आरोपी गिरफ्तार किया जायेगा जब कि इससे पहले दूर के रिस्तेदारों तक को नहीं बक्शा जाता था। अब तक यह होता आया था कि एफआइआर में शिकायर्ता द्वारा लिखाए गये किसी भी रिश्तेदार को पकड़ लिया जाता था, यहां तक कि समस्त परिवार गिरफ्तार कर लिया जाता था।
- **साथ रह रहे भागीदार के लिए भरण-पोषण:** राष्ट्रीय महिला आयोग ने कहा है कि यदि महिला किसी पुरुष के साथ भागीदारी का रिश्ता निभाते हुए रह रही है और पुरुष उसे छोड़ दे तो महिला को भरण-पोषण पाने का हक होना चाहिए। महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय को की गयी दूरगामी सिफारिशों में आयोग ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 में दी गयी 'पत्नी' की परिभाषा में परिवर्तन किए जाने की मांग करते हुए कहा है कि साथ रहने वाली भागीदारी का रिश्ता निभा रही महिला को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए ताकि छोड़ दिए जाने की दशा में उसे भरण-पोषण मिल सके। घरेलू हिंसा से महिलाओं की संरक्षा अधिनियम में पुरुष के साथ भागीदारी का रिश्ता निभा रही महिला को विवाहित पति-पत्नी के समकक्ष माना गया है और उपरोक्त सुझाये गये संशोधन से कानून में सामंजस्य आयेगा।
- **पत्नी के वित्तीय रूप से समर्थ होने के बावजूद पुरुष बच्चे को भरण-पोषण देगा:** न्यायालय: शहर के एक न्यायालय ने निर्णय दिया है कि कोई पुरुष अपने बच्चे के भरण-पोषण के दायित्व से यह कह नहीं बच सकता कि उसकी अलग हुयी पत्नी वित्तीय रूप से बच्चे की देखभाल करने में समर्थ है। न्यायालय ने आदेश दिया कि वह अपनी पुत्री के भरण-पोषण के लिए 2500 रु. प्रति मास दे।
- **विवाहित लड़की का धन उसके माता-पिता को जा सकता है:** कानून आयोग ने पहली बार यह सिफारिश की है कि यदि किसी विवाहित हिन्दू महिला की कोई संतान नहीं है तो उस की स्वयं अर्जित संपत्ति उसके माता-पिता तथा पति के परिवार दोनों को जायगी। यदि महिला के माता-पिता जीवित न हों तो संपत्ति का भाग उसके पिता के वारिस को जायेगा। इसके लिए हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 15 में संशोधन करना होगा।

अग्रेतर सूचना के लिए देखें हमारा वेबसाइट : www.ncw.nic.in

राष्ट्रीय महिला आयोग, 4-दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002 द्वारा प्रकाशित। सब-अर्बन प्रेस, 244/5, गली नं. 13, थान सिंह नगर, आनंद पर्वत, नई दिल्ली-110005 में मुद्रित • सम्पादक : गौरी सेन